



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 944]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2002/कार्तिक 10, 1924

No. 944]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2002/KARTIKA 10, 1924

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2002

का.आ. 1160(अ).—आवश्यक वस्त्र अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 में संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (i) इस आदेश को जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2002 कहा जाए।

(ii) यह सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन को लिखि से लागू होगा।

2. जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 (इसके बाद मुख्य आदेश के रूप में उल्लेख किया जाएगा) में, धारा 5 के लिए निम्नलिखित धारा आण्णी अर्थात् :—

“5. कच्चे जूट के स्टॉक का विनियमन करने की शक्ति :— (1) जूट आयुक्त पटसन वस्त्र के विनिर्माण के उद्देश्य से आदेश के माध्यम से :—

(i) कच्चे जूट अथवा जूट की कोई विनिर्देशित किस्म जो कोई विनिर्माता किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा अभिकरण अथवा अन्य प्रकार से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खरीदेगा, की अधिकतम अथवा न्यूनतम मात्रा विनिर्देशित कर सकती है;

(ii) कच्चे जूट जो किसी जूट विनिर्माता के पास किसी विनिर्दिष्ट अवधि में होगा, की अधिकतम अथवा न्यूनतम मात्रा को विनिर्देशित कर सकती है,

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत आदेश जारी करने में, जूट आयुक्त :

(क) पिछले चर्चे के दौरान विनिर्माता द्वारा प्रयुक्त कच्चे जूट की मात्रा;

(ख) कच्चे जूट जो विनिर्माता के पास इस आदेश की तिथि के तत्काल पूर्व 6 महीनों की अवधि के दौरान हो, की अधिकतम मात्रा;

(ग) जूट वस्त्र का विनिर्माण करने के लिए विनिर्माता की क्षमता;

(घ) लच्चे जूट की कीमतों में स्थिरता बनाये रखने की आवश्यकता;

(ङ) जूट वस्त्र के विनिर्माण हेतु कच्चे जूट की उपलब्धता;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(c) मुख्य आदेश को धारा 4; और

(d) कोई अन्य कारण जो जूट आयुक्त के विचार से इस उद्देश्य हेतु संगत हो, को ध्यान में रखेंगे।"

[फा. सं. 15/63/98-जट]

अनुलै लप्तवादी, सम्प्रति अधिक

मिस्टर बाल भट्ट जूट आयुक्त में खाता-II, ख-5-3, उपखंड (ii) दिनांक 19 अप्रैल, 2000 के संलग्न का आ. 396 (जैसे प्रकाशित करा

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 1st November, 2002

S.O. 1160(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, namely:

1. (i) This Order may be called the Jute and Jute Textiles Control (Amendment) Order, 2002.
 (ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
 2. In the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000 (hereinafter referred to as the principal Order), for clause 5, the following clause shall be substituted, namely:—
- "5. Power to regulate stocks of raw jute:—(1) The Jute Commissioner may, by order,—**
- (i) specify the maximum or minimum quantity of raw jute or any specified variety of jute which a manufacturer shall purchase from any specified person or agency or otherwise, during any specified period;
 - (ii) specify the maximum or minimum quantity of raw jute which a jute manufacturer may have in his own possession during any specified period,
- for the purpose of manufacture of jute textiles.
- (2) In issuing an order under Sub-clause (1), the Jute Commissioner shall have regard to:—
- (a) the quantity of raw jute used by the manufacturer during the previous year;
 - (b) the maximum quantity of raw jute which the manufacturer has had in his possession during the period of six months immediately preceding the date of the order;
 - (c) the capacity of the manufacturer to manufacture jute textiles;
 - (d) the need to maintain stability in the prices of raw jute;
 - (e) the availability of raw jute for manufacture of jute textiles;
 - (f) clause 4 of the principal Order; and
 - (g) any other factor which, in the opinion of the Jute Commissioner, is relevant for the purpose."

[F. No. 15/63/98-Jut]

ATUL CHATURVEDI, Jt. Secy

Note:—The principal Order was published in the Gazette of India in Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 396(E) dated the 19th April, 2000.